

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-110/2023-24

CENTRAL BANK OF INDIA

बनाम्

SMT. NAJBUN NISHA & OTHS.

—: आदेश :-

10.07.2024

प्राधिकृत पदाधिकारी, CENTRAL BANK OF INDIA, M.G.M BRANCH, BOKARO, JHARKHAND के द्वारा धारा-14 (1) and (2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 के अन्तर्गत विपक्षी 1. Smt. Najbun Nisha W/o Gulam Mustafa Ansari 2. Mr. Rustam Ansari S/o Albabu Ansari At.- House No. 56, Solagidih, Bhawanipur, Chas Bokaro, Jharkhand के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष CENTRAL BANK OF INDIA, M.G.M BRANCH, BOKARO JHARKHAND की ओर से दाखिल आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी ने अपनी निम्नांकित सम्पत्ति (EM of Land and Building in the name of Smt. Najbun Nisha W/o Gulam Mustafa Ansari, Vide Sale Deed No. 3928/3527 dated 17.06.2013, 1099/1014 dated 18.02.2009 & 1096/1011 dated 18.02.2009 Mouza Bhawanipur Solagidih, P.S. Chas Thana No. 52, Khata No. 11, Plot No. 1011 & 1012, Area ½ decimal and 7.5 decimal Total Area-8 decimal, Khata No. 28, Plot No. 1010, Area 7.33 decimal) को गिरवी रखते हुए बैंक से 6,80,000.00 (छः लाख अस्सी हजार) रुपये ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-29.11.2021 को ही

47

एन0पी0ए0 हो गया है। दिनांक-17.05.2023 तक ऋणकर्ता पर कुल रुपये 5,19,722.00/- के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1) & (2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

विपक्षी को निबधित डाक से नोटिस तामिला किया गया, किन्तु वह पिछले तिथि को सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित थे। फलस्वरूप नैसर्गिक न्याय को ध्यान में रखते हुए वाद की अगली तिथि निर्धारित कर उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु समाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया गया। उसके बाद भी वह सुनवाई के दौरान पुकार पर उपस्थित नहीं हुए।

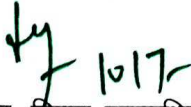
ऐसी स्थिति में प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र, अभिलेख में संधारित कागजात के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि बैंक के द्वारा विपक्षी से ऋण की वापसी के लिए SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। बावजूद इसके विपक्षी के द्वारा बकाया ऋण की राशि के वापसी की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही कोई सकारात्मक पहल किया गया। सूचना प्राप्ति के बाद भी उनका न्यायालय में अनुपस्थित रहना और अपने बचाव में अब तक किसी भी प्रकार का कारण-पृच्छा/लिखित जबाब दाखिल किया जाना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

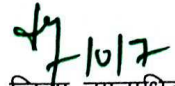
वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, CENTRAL BANK OF INDIA, M.G.M BRANCH, BOKARO, JHARKHAND द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए

विधि--व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं संबंधित
अनुमण्डल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

 10/7
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

 10/7
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

स्थान:- बोकारो।

दिनांक:- 10/07/2024